



Handwritten signature in blue ink.



फोटो


Handwritten signature in blue ink.

- 1-लेखपत्र का प्रकार-बैनामा
- 2-भूमि का प्रकार-कृषि भूमि
- 3-प्रतिफल-12000000 /-रु0
- 4-मालियत-5177000 /-रु0
- 5-सरकारी दर-2900 /-रु0 प्रति व0 मी0 पृष्ठ 32 कं0 03 कोड 1542 उपरोक्त विक्रय आराजी आबादी के निकट होने के कारण 2900 /-रु0 प्र0 व0 मी0 के हिसाब से मालि0 5177000 /-रु0 है जबकि स्टाम्प विक्रय धन पर अदा किया गया है।
- 6-अदा स्टाम्प-600000 /-रु0 का आईएन-यूपी66795745067175एक्स
- 7-मौजा-आजनोख तह0 छाता जिला मथुरा
- 8-दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प-नही
- 9-सेगमेंट-कोई नही ।
- 10-मापन की इकाई-कुल रकवा 4.282 है0 मुकियर रकवा 0.1785 है0 यानि 1785 व0 मी0 सम्पूर्ण भूमि विक्रय की है। छीतर सिंह 0.0892 अपना सम्पूर्ण भाग व पांचा देवी 0.0893 अपना सम्पूर्ण भाग कुल दोनो का 0.1785 है0 विक्रय किया है अब कोई शेष नही है।
- 11-सम्पत्ति का विवरण-
खाता नं0 खसरा नं0 रकवा कुल भाग मु0 विक्रय रकवा
240 327 4.282 है0 मुकियर रकवा 0.1785 है0 यानि 1785 व0 मी0 सम्पूर्ण भूमि विक्रय की है।
- 12-सडक की स्थिति-लिक मार्ग से दूर ।
- 13-निर्माण-कोई नही

छीतर सिंह

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.






2

- 14-अवस्थिति-ग्रामीण या टाउन एरिया 200 मी० त्रिज्यान्तर्गत कोई आवासीय या वाणिज्यक गतिविधियां विद्यमान है नही ।
- 15-स्टाम्प में छूट का प्रकार-पुरुष का
- 16-विक्रित भूमि में नलकूप-कोई नही
- 17-बोरिंग व पेड की स्थिति-कोई नही
- 18-विक्रेता व क्रेता का वर्ग-विक्रेता व क्रेता अनु० जाति के नही हैं ।
- 19-विक्रेता व क्रेता भारतीय नागरिक हैं ।
- 20-चौहददी-पूरव- चक अन्य व्यक्ति व पश्चिम-जमीन कदमश्री व उत्तर-जमीन कदमश्री व दक्षिण-कदमश्री के है।
- नोट- 1. विक्रीत सम्पत्ति महायोजना में सम्मिलित है/नही :- नही
2. उक्त के विरुद्ध स्थिति पाये जाने पर द्ववस्ती करण सहित समस्त विधिक कार्यवाही की जिम्मेदारी क्रेता की होगी।

दीपक सिंह



प. पा. चा. दे. व.



दीपक



22-प्रथम पक्ष विक्रेता- छीतर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह (रकवा 0.0892) व श्रीमती पांचा देवी उर्फ पांची पत्नी श्री देवी सिंह (रकवा 0.0893) नि० आजनोख तह० छाता जिला मथुरा आ० XXXXXXXX5388 पै नं० सलिपि संलग्न है व XXXXXXXX5857 पै नं० सलिपि संलग्न है मो० 8057866314

तथा

द्वितीय पक्ष क्रेता- कदम श्री डवलपर्स इण्डिया एल एल पी स्थित पंजीकृत कार्यालय 2276 सेक्टर 28 फरीदाबाद द्वारा हस्ताक्षरी कम्पनी द्वारा जारी किया गया बोर्ड रेगुलेशन दि० 02.07.2024 विवेक कुमार पुत्र श्री प्रहलाद शरण नि० बांस मौहल्ला बरसाना तह० गोवर्धन जिला मथुरा आ० XXXXXXXX3534 पै नं० एएयूएफके9343सी मो० 8630384868

जो कि मवाजी 4.282 है० वाकै मौजा आजनोख तह० छाता जिला मथुरा प्रथम पक्ष की वशमूल अन्य के है जिसमें प्रथम पक्ष का 0.1785 है० यानि 1785 व० मी० हिस्सा है जिस पर प्रथम पक्ष समस्त कानूनी हक व अधिकारों के काविज व दखील हैं जो कि हर प्रकार के कर्जों आदि के विवादों से पाक व साफ है कहीं भी जमानत आदि में बन्धक नहीं है आज से पूर्व किसी को बेचना तै नहीं किया है उक्त भूमि किसी सरकारी व गैर सरकारी संस्था में बन्धक नहीं है ना इस सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय आदि में विचाराधीन है और ना ही भूमि किसी सरकारी व अर्द्ध सरकारी अधिग्रहण में आती है अतः अब स्वस्थ चित्त स्थिर बुद्धि व प्रसन्नता पूर्वक मय हक व अधिकारों के अपनी सम्पूर्ण को वकीमत मुवलिग-12000000/-रु० एक करोड बीस लाख रूपया में बहक-द्वितीय पक्ष क्रेता


छीतर सिंह



व. पा. देवी सिंह



विवेक कुमार



उपरोक्त को बै कतई कर दी और बेच दी तथा कुल विक्रय धन में से 1000000/-रु0
यूटीआर नं0 एचडीएफसीआर52025032854902399 दि0 28.3.25 के व 1000000/-रु0
यूटीआर नं0 एचडीएफसीआर52025032754630992 दि0 27.3.25 के व 5000000/-रु0
चैक नं0 000236 दि0 28.6.25 के व 5000000/-रु0 चैक नं0 000235 दि0 28.6.25
शाखा एचडीएफसी बैंक फरीदाबाद के द्वारा प्राप्त किये हैं अब कोई विक्रय धन बकाया
नहीं है एवज उसके कब्जा क्रेता को अपने समान करा दिया अब क्रेता को अधिकार होगा
कि वह उक्त विक्रय भूमि का चाहे सो करे दाखिल खारिज इसका प्रथम पक्ष करा देगा
यदि ना करावे तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह स्वयं इस प्रलेख हाजा की रूह से
अपने नाम दर्ज करा लेवे जिसमें कि प्रथम पक्ष व वारिसानों को कोई आपत्ति किसी प्रकार

दीपक सिंह



मुरारि



राम




की नहीं होगी काश कोई सहीम व सरीक प्रथम पक्ष का पैदा होकर बाबत विक्रय पत्र के हक लाकर दावा या उजर करे या कब्जा कुल या जुज भाग क्रेता से निकल जावे या कोई वाद प्रमाणित हो या कुछ खर्च करना पडे या देना पडे तो ऐसी समस्त जुमला सूरतों में क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपना दिया कुल रूपया मय हर्जा खर्चा के एक मुष्ट प्रथम पक्ष व उनकी बकाया जायदाद से चाहे जिस तरह वसूल कर लेवे जिसमें कि प्रथम पक्ष व उनके वारिसानों को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नहीं होगी लिहाजा राजी खुषी व प्रसन्नता पूर्वक पढकर व सुनकर व समझकर विला किसी दबाब व भय के पूर्ण होष व हवाष में यह विक्रय पत्र तहरीर कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवै यह विक्रय पत्र विक्रेता व क्रेता व गवाहों के कहने अनुसार झाफट व टाइप कराया गया है मुकियो के फोटो की पहचान आई डी प्रूफ के आधार पर आर० के० गुप्ता लेखक तह० छाता ने की है ।

दीवत सिंह

W. M. Chaudhary

Verma



नक्शा नजरी
मौजा-आजनोख तह0 छाता जिला मथुरा

प्रथम पक्ष विक्रेता-छीतर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह (रकवा 0.0892) व श्रीमती पांचा देवी उर्फ पांची पत्नी श्री देवी सिंह (रकवा 0.0893) नि0 आजनोख तह0 छाता जिला मथुरा

द्वितीय पक्ष क्रेता-कदम श्री डवलपर्स इण्डिया एल एल पी स्थित पंजीकृत कार्यालय 2276 सेक्टर 28 फरीदाबाद द्वारा हस्ताक्षरी कम्पनी द्वारा जारी किया गया बोर्ड रेगूलेशन दि0 02.07. 2024 विवेक कुमार पुत्र श्री प्रहलाद शरण नि0 बांस मौहल्ला बरसाना तह0 गोवर्धन जिला मथुरा सम्पत्ति का विवरण

खाता नं0 खसरा नं0 रकवा कुल भाग मु0 विक्रय रकवा

240 327 4.282 है0 मुकियर रकवा 0.1785 है0 यानि 1785 व0 मी0 सम्पूर्ण भूमि विक्रय की है।

उत्तर

चक कदमश्री

पश्चिम

चक कदमश्री



पूरव



चक अन्य व्यक्ति

चक कदमश्री

दक्षिण


ह0 विक्रेता

छीतर सिंह



ह0 क्रेता

कदम



आवेदन सं०: 202500761012407

ही संख्या 1 जिल्द संख्या 11900 के पृष्ठ 181 से 196 तक क्रमांक 9304 पर दिनांक
8/03/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


अरुण प्रकाश .

उप निबंधक : छाता

मथुरा

28/03/2025

